बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक–

श्री अमित कुमार पटेल (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 693/24 (629/26), अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा के विरुद्ध श्रीमती श्वेता, प्रधानाध्यापिका, उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरदाहा (कैम्पस सरथुआ सराय) इस्लामपुर, अनुमंडल–हिलसा, थाना–खुदागंज, जिला–नालन्दा (बिहार) द्वारा पद का दुरूपयोग एवं धौंस दिखाकर शारीरिक, मानसिक एवं फोनिक यौन शोषण किये जाने संबंधी आरोपों के लिए परिवाद–पत्र समर्पित किया गया। समर्पित परिवाद–पत्र की जाँच जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा गठित त्रि–सदस्यीय जाँच दल द्वारा करायी गयी। परिवाद एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी, जिसमें श्री पटेल का आचरण अशोभनीय एवं अश्लील पाया गया है।

उक्त के आलोक में विभागीय स्तर पर श्री पटेल के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। विभागीय पत्रांक 4577 दिनांक 09.03.2026 द्वारा गठित आरोप–पत्र पर श्री पटेल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त क्रम में श्री पटेल के पत्र दिनांक 24.04.2026 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री पटेल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा अपने बचाव में प्रतिवेदित आरोप के विरूद्ध कोई भी तथ्यों/साक्ष्यों को नहीं अंकित किया गया है। इनके द्वारा मुख्यतया जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा गठित त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा किये गये जाँच से संबंधित प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदित आरोप एवं श्री पटेल के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि श्री पटेल द्वारा परिवादिनी से लगातार दूरभाष आदि से संपर्क किया गया है एवं दोनों तरफ से कामुक भाषा का प्रयोग किया गया है। आरोपी पदाधिकारी को कुछ कहने पर परिवादिनी द्वारा उसको सपोर्ट करते हुए पाया गया। इसमें किसी भी पक्ष के द्वारा विरोध जाहिर नहीं किया गया है। इस प्रकार श्री पटेल के द्वारा परिवादिनी के साथ संपर्क होने की पुष्टि होती है, जो एक सरकारी सेवक के आचरण के विपरीत है। साथ ही बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) के संगत प्रावधानों का उल्लंघन है।

श्री पटेल के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं इनके स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया तथा आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जिला पदाधिकारी, नालन्दा इस अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जायगा।

(कृ०पृ०उ०)

श्री पटेल से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/परि0–06–45/2025–सा0प्र0– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/श्री अमित कुमार पटेल (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 693/24 (629/26), अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी विभागीय परिपत्र संख्या 2178 दिनांक 28.02.2007 के आलोक में श्री अमित कुमार पटेल (बि0प्र0से0) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध करांएगे।

अनु0 :– (1) आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) की छायाप्रति।
(2) श्री पटेल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति।
(3) जाँच–पत्र।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/परि0–06–45/2025–सा0प्र0–9538 **/पटना, दिनांक–** 29.5.26

प्रतिलिपि :– वरीय पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 19 एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.5.26
सरकार के अवर सचिव।